प्रकरण क्रमांक : 01/2025
प्रस्तुति दिनांक : 28.04.2025

# विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी/पुलिस उपायुक्त ज़ोन क्रमांक–03 रीगल चौराहा, इन्दौर के समक्ष

म.प्र शासन
तर्फे पुलिस थाना संयोगितागंज ...आवेदक

विरुद्ध

निरस्त निरस्त

राधेश्याम जाट ...अनावेदक

## आवेदन अंतर्गत धारा 215 एवं धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदक की ओर से सादर निवेदन निम्नानुसार है कि :

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2025 अंतर्गत धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा इस न्यायालय द्वारा जारी सम्मन के माध्यम से अनावेदक को वर्तमान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंने हेतु आदेशत किया गया था।

सत्यापित प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार

2. यहकि, उक्त प्रकरण वर्तमान में दिनांक 28.05.2025 को अभियोजन साक्ष्य हेतु निहित है, जिसमें सहायक उपनिरक्षक, थाना संयोगितागंज श्री भरत सिंह का मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरिक्षण समाप्त हो चुका है।

कार्यालय
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी/
पुलिस उपायुक्त झोन 03
नगरीय इन्दौर

3. यहकि, सहायक उपनिरक्षक, थाना संयोगितागंज श्री भरत सिंह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रदर्श–पी/4

व प्रदर्श–पी/2 में थाना प्रभारी संयोगितागंज, इन्दौर के हस्ताक्षर की कूटरचना की गई है तथा यह भी स्वीकार किया गया कि श्री भरत सिंह द्वारा प्रदर्श–पी/4 व प्रदर्श–पी/2 में थाना प्रभारी संयोगितागंज, इन्दौर की सील स्वयं द्वारा लगाई गई है।

4. यहकि, सहायक उपनिरक्षक, थाना संयोगितागंज श्री भरत सिंह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श–पी/3 उनके द्वारा प्रदर्श चिन्हांकित नहीं कराया गया है एवं उक्त दस्तावेज थाना ग्वालटोली के पुलिस कर्मी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रदश–पी/3 चिन्हांकित कराया गया है जबकी अपने मुख्य परीक्षण में श्री भरत सिंह द्वारा उक्त दस्तावेज को स्वयं के द्वारा प्रदर्श–पी/3 चिन्हांकित कराया गया है जोकी अभीलेख पर उपस्थित है।

5. यहकि, सहायक उपनिरक्षक, थाना संयोगितागंज श्री भरत सिंह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श–पी/1 उनके द्वारा प्रदर्श चिन्हांकित नहीं कराया गया है तथा उक्त प्रदश–पी/ सहायक उपनिरिक्षक दिलिप सिंह द्वारा चिन्हांकित कराया गया है जबकी अपने मुख्य परीक्षण में श्री भरत सिंह द्वारा उक्त दस्तावेज को स्वयं के द्वारा प्रदर्श–पी/1 चिन्हांकित कराया गया है जोकी अभीलेख पर उपस्थित है। भरत सिंह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि दिलिप सिंह द्वारा इस न्यायालय के समक्ष कोई कथन नहीं दिए गए है जिससे यह स्पष्ट होता है कि भरत सिंह द्वारा प्रदर्श–पी/1 चिन्हांकित नहीं किया गया है।

निरस्त

सत्यापित प्रतिलिपि

प्रतिलिपिकार

6. यहकि, अभियोजन साक्षि द्वारा किया गया उक्त कृत्य भरतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227, 229, 233, 316, 336(3), 338, 337 एवं 340 के तहत दण्डनीय अपराध है।

**प्रार्थना**

कार्यालय
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी/
पुलिस उपायुक्त झोन 03
नगरीय इन्दौर

अतः इस न्यायालय से निवेदन है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आवेदन स्वीकार कर अभियोजन साक्षी कमांक 1 श्री भरत सिंह के विरूद्ध भरतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227, 229, 233, 316, 336(3), 338, 337 एवं 340 के अंतर्गत प्रकण पंजिबद्ध करनें हेतु उचित आदेश पारित किया जावे। यहि विनय है।

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 28.05.2025

अनावेदक तर्फे अभिभाषक,

जयेश गुरनानी

MP/1987/2022

मो.नं.:9827965692

सत्यापित प्रतिलिपि

प्रतिलिपिकार

कार्यालय
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी/
पुलिस उपायुक्त झोन 03
नगरीय इन्दौर

निरस्त

निरस्त